न्यायालय नजूल अधिकारी नजूल वृत्त एम0पी0नगर भोपाल

(7.नंबर बस स्टाप, सरोजनी नायडू स्कूल के पास, शिवाजी नगर, भोपाल)
दूरभाष नं. 0755-2579135 (कार्या.) E-mail : sdmmpnagar@gmail.com

क्रमांक / 06 / नजूल / बी–121 / 19–20 भोपाल दिनांक 27 / 04 / 2019

प्रति,

श्री शैलेन्द्र प्रधान आ. श्री प्रभूदयाल प्रधान
निवासी ई–3 / 75, अरेरा कॉलोनी भोपाल म.प्र.

विषय :– अनापत्ति प्रमाण पत्र बाबत्।

—00—

आपके द्वारा ग्राम अहमदपुरकलां तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित भूमि खसरा नंबर 13 / 1 / 1–1क–1 / 1 / 1 रकबा 3.788 हेक्टेयर एवं 13 / 1 / 1–1क–2 / 1 / 1 / 1 रकबा 0.202 हेक्टेयर कुल रकबा 3.99 हेक्टेयर भूमि पर नजूल अनापत्ति प्रमाण पत्र चाहा गया है।

नायब तहसीलदार एम.पी. नगर वृत्त से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार ग्राम अहमदपुरकलां स्थित प्रश्नाधीन भूमि खसरा कमांक 13 / 1 / 1–1क–1 / 1 / 1 (कम्प्यूटर ख.क. 13 / 1 / 1 / क) रकबा 3.788 हेक्टेयर एवं खसरा कमांक 13 / 1 / 1–1क–2 / 1 / 1 / 1 (कम्प्यूटर खसरा कमांक 13 / 1 / 1 / क / 2) रकबा 0.202 हेक्टेयर भूमि राजस्व अभिलेख में आपके नाम दर्ज है एवं वर्ष 1959 में आवेदित भूमि निजी स्वत्व पर दर्ज है।

अतः नायब तहसीलदार एम.पी.नगर वृत्त के प्रतिवेदन के अनुसार ग्राम अहमदपुरकलां स्थित भूमि खसरा कमांक 13 / 1 / 1–1क–1 / 1 / 1 (कम्प्यूटर ख.क. 13 / 1 / 1 / क) रकबा 3.788 हेक्टेयर एवं खसरा कमांक 13 / 1 / 1–1क–2 / 1 / 1 / 1 (कम्प्यूटर खसरा कमांक 13 / 1 / 1 / क / 2) रकबा 0.202 हेक्टेयर कुल रकबा 3.99 हेक्टेयर भूमि का नजूल अनापत्ति प्रमाण–पत्र निम्नलिखित शर्तो पर दिया जाता है :–

1. यह अनापत्ति प्रमाण पत्र नगर तथा ग्राम निवेश विभाग से विकास अनुज्ञा एवं अभिन्यास अनुमोदन हेतु जारी की जा रही है।
2. विकास अनुज्ञा एवं अभिन्यास अनुमोदन प्राप्त किए बिना किसी भी प्रकार का निर्माण एवं अन्य प्रयोजन के लिए यह अनापत्ति प्रमाण पत्र शून्य होगी।
3. भवन निर्माण के पूर्व नगर निगम एवं अन्य संबंधित विभागो से अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
4. आस–पास व शासकीय भूमि पर अतिक्रमण नही किया जावेगा।
5. किसी भी न्यायालय मे पूर्व से वाद होने / वाद दायर होने पर यह अनापत्ति स्वमेव निरस्त मानी जावेगा।

नजूल अधिकारी
एम.पी.नगर
वृत्त–भोपाल

निरंतर...............2

6. आवासीय भवन निर्माण से भिन्न किसी श्रेणी का निर्माण प्रतिबंधित होगा।
7. शासकीय राजस्व प्रतिवर्ष जमा करना होगा।
8. मास्टर प्लान में निर्धारित मार्गो/वृक्षारोपण हेतु सुरक्षित भूमि पर किसी भी प्रकार का अवरोध या निर्माण प्रतिबंधित होगा।
9. भवन निर्माण के लिए नियमानुसार आवश्यक अन्य सभी अनुमतियाँ भवन निर्माण के पूर्व प्राप्त करना होगा।
10. वर्तमान मे लागू/भविष्य में होने वाले सभी नियमों, आदेशों, संशोधनों का पालन करना अनिवार्य होगा।
11. यह अनापत्ति को भूमि स्वामित्व का दस्तावेज न समझा जावे।
12. रेल्वे से लगी हुई भूमि पर 30 मीटर के दायरे में आने वाली भूमि पर किये जाने वाले निर्माण पर रेल प्रशासन से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
13. राष्ट्रीय हरित अभिकरण के आदेशानुसार नदी/तालाब की सीमा से 30 मीटर क्षेत्र के भीतर किसी भी प्रकार का निर्माण नही किया जाएगा।
14. यह अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध राजस्व अभिलेखों के आधार पर प्रदाय किया जा रहा है इस अनापत्ति प्रमाण पत्र से किसी भूमि स्वामित्व अधिकार की पुष्टि नही की जा रही है।

उपरोक्त शर्तो में से किसी भी शर्तो के उलंघन होने पर यह अनापत्ति निरस्त (शून्यवत) मानी जावेगी।

नजूल अधिकारी
एम0पी0 नगर वृत्त भोपाल